

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :-F(200)(Pt.-IV)JDA/OSD(RM)/2018-19/D- 1044

दिनांक :-29.8.18

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी भूमि निस्तारण निर 1974 के अनुसरण में आरक्षित दरों के निर्धारण हेतु प्रेषित प्रस्तावों का आयुक्त महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुमोदन पश्चात् एवं उच्चाधिकार समिति की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नलिखित योजनाओं/कॉलोनियों की आवासीय आरक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

S. N.	Zone	Scheme Name	आदेश दिनांक 14.09.2017 के अनुसार आवासीय आरक्षित दरें (रूपये प्र.व.मी.)	प्रभावी आवासीय आरक्षित दरें (रूपये प्र.व.मी.)	प्रभावी दिनांक
1	1	SMS HOSPITAL TO TRAUMA CENTRE UNDERPASS CONSTRUCTED SHOP	-	25000	20.06.2018
2	4	MANOHARPURA GROUP HOUSING FLATTED SCHEME		14000	22.06.2018

- उपरोक्त आवासीय आरक्षित दरें 80 फीट (24मीटर) तक की चौड़ाई वाली सड़क पर लागू होगी। 80 फीट से अधिक एवं 100 फीट (30मीटर) तक की सड़क चौड़ाई के लिए 10 प्रतिशत अधिक दर तथा 100 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़क होने पर 15 प्रतिशत अधिक दर लागू होगी। कार्नर के भूखण्डों में अधिकतम चौड़ाई वाली सड़क की आरक्षित दरें लागू होगी।
- वाणिज्यिक आरक्षित दरें, आवासीय आरक्षित दर की दो गुणा होगी एवं संस्थानिक आरक्षित दर, आवासीय आरक्षित दर से 25 प्रतिशत अधिक होगी।
- यदि किसी भूखण्ड/भूमि के लिए एक से अधिक आरक्षित दर लागू हो रही है तो अधिक दर ही प्रभावी होगी।
- यदि किसी भूखण्ड के लिये आरक्षित दर निर्धारण में विवेचना की स्थिति हो तो आयुक्त जविप्रा द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।
- वे क्षेत्र, जो उपरोक्त तालिका में अंकित योजनाओं के क्षेत्रों, सड़कों के किनारे निर्धारित पट्टी इत्यादि में सम्मिलित नहीं है, उस हेतु MDP-2025, के वर्गीकरण अनुसार सम्बन्धित जोन की U-1, U-2, U-3, Rural & Ecological क्षेत्र अनुसार आरक्षित दरें प्रभावी होगी।
- उक्त योजनाओं में पूर्व में जारी आदेशों से निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

(अर्चना सिंह)
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर